>

Title: Alleged lathi charge on Basic Teachers Course trainees in Uttarakhand.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान उत्तराखंड के उन बीटीसी प्रशिक्षुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो अपने रोजगार की मांग को ले कर देहरादून में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण ये अपनी नियुक्ति संबंधी मांगों को ले कर आंदोलन करने पर विवश हैं, लेकिन राज्य सरकार इन बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगारों की उपेक्षा कर रही है।

सन् 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशिक्षण वर्ष के आधार पर जो विज्ञाप्तियां जारी की गई थीं, उन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती उत्तराखंड राज्य में की जानी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह उत्तराखंड की राज्य सरकार को निर्देशित करे कि वह वर्ष 2006 की तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तय किए गए दिशा निर्देशों को लागू कर प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करे और पहले तीसरे सत्र की परीक्ष ले। उसके बाद सेवायोजित कर इन प्रशिक्षुओं को क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए भेजे। साथ ही लाठी भंजवाने व गिरफ्तारी पर इन प्रशिक्षुओं से माफी मांगे तथा इन्हें उचित मुआवजा दे।